निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 श्रावण 1943 (श0)

(सं0 पटना 716) पटना, वृहस्पतिवार, 19 अगस्त 2021

सं० 3ए–2–वे०पु०–(भत्ता)–08/2013–5421/वि०

foÙk foHkkx

---

ladYi

19 अगस्त 2021

विषय :– **पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से 17 प्रतिशत के स्थान पर 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।**

वित्त विभाग के संकल्प सं०–8654, दिनांक 24.10.2019 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से 17 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०–1/1/2020-E-II(B) दिनांक 20.07.2021 के द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3- राज्य सरकार भी अपने कर्मियों को महंगाई भत्ता की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4- mDr dks vkyksd esa jkT; ljdkj us lE;d fopkjksijkUr fu.kZ; fy;k gS fd&

(i) पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों को दिनांक 01.07.2021 के प्रभाव से 17 प्रतिशत के स्थान पर 28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ii) पुनरीक्षित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' का तात्पर्य पे–मैट्रिक्स में विहित वेतन स्तर में आहरित किए जाने वाले वेतन से है। इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(iv) उपर्युक्त महंगाई भत्ता की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।

5. उक्त बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिनांक 01.07.2021 से भुगतेय है और बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता का भुगतान माह flrEcj] 2021 के वेतन में जोड़कर होगा, परन्तु इसके पूर्व के माह जुलाई, 2021 के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह vDVcj] 2021 में एवं माह अगस्त, 2021 के लिए आकलित बकाये राशि का भुगतान माह नवम्बर, 2021 में किया जाएगा।

6. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में उक्त मंहगाई भत्ता का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगी।

vkns'k %& vkns'k fn;k tkrk g fd bl ldYi dk fcgkj jkti= d vxy vd e lo lk/kkj.k dh tkudkjh gr çdkf'kr fd;k tk;A

vkns'k l]
ykd'k dekj fl g]
lfpo ¼lk/ku½ A

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 716-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in